कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद देहरादून।

ईमेल- cfoddn.ukfs@gmail.com

पत्रांकः न–9/सीएफओ(स्कू0भ0मा0)–D-PO-270-2023 दिनांकः अगस्त 09, 2023

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक
HILL GREEN PUBLIC SCHOOL GRAMIN VIKAS EVAM KALYAN SAMITI
AMBIWALA, PREMNAGAR, KH. NO-397, 398
MAUZA-AMBIWALA, PACHWADOON, VIKAS NAGAR
जनपद–देहरादून।

विषय अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता प्रमाण पत्र (**Pre-Operational**) के सम्बन्ध में।

आपके प्रार्थना पत्र यूआईडी नं0–79571846 दिनांक 21.07.2023 के HILL GREEN PUBLIC SCHOOL GRAMIN VIKAS EVAM KALYAN SAMITI, AMBIWALA, PREMNAGAR, KH. NO-397, 398 MAUZA-AMBIWALA, PACHWA DOON, VIKAS NAGAR, जनपद देहरादून की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थ का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी देहरादून द्वारा किया गया। अग्निशमन अधिकारी देहरादून की निरीक्षण आख्या दिनाक 03.08.2023 के अनुसार स्थापित अग्निशमन यंत्र कार्यशील दशा मे है।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशामें रखेगे। संस्थान/स्कूल के विस्तार/अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य है, स्कूल भवन के प्रत्येक तल में 15 दिवस के भीतर 01 अदद होजरील को टैरिस टैंक मय टैरिस पम्प से कनेक्ट कराते हुए अवगत करायेगे, साथ ही अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संस्थान को प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व–घोषणा पत्र/**Self Audit Report** इस कार्यालय को ऑन लाईन/ऑफ लाईन माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अतः **HILL GREEN PUBLIC SCHOOL GRAMIN VIKAS EVAM KALYAN SAMITI, AMBIWALA, PREMNAGAR, KH. NO-397, 398 MAUZA-AMBIWALA, PACHWA DOON, VIKAS NAGAR,** जनपद देहरादून को अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र 03 वर्ष हेतु दिनांक 09 अगस्त 2023 से 08 अगस्त 2026 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तो का पालन किया जाना आवश्यक होगाः–

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैट बैक तथा सीढ़ियॉ सदैव अवरोध मुक्त रखी जाए।
2. आपके स्कूल के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों के संचालन तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
3. सभी अग्निशमन यंत्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी स्वामी/प्रबन्धक की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यंत्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नही हो सकती। अतः स्वामी/प्रबन्धक को अग्नि रोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. स्कूल में विद्युत यंत्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
5. स्कूल के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानको के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।
6. विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस–पास किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण नहीं किया जाएगा, भण्डारण किये जाने पर यह स्वामी/प्रबन्धक की लापरवाही मानी जाएगी तथा भविष्य में अग्नि दुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नही की जाएगी।

(वी0 के0 यादव) 9/8/23
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून।

Manager
Hill Green Public School
Ambiwala, Premnagar
Dehradun (Uttarakhand)

Principal
Hill Green Public School
Ambiwala, Premnagar, Dehradun